न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 05 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

किशनसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी भादरीया तहसील पोकरण जिला जैसालमेर

उत्तरदातागण(प्रतिवादीगण)

रेसपोडेंटगण

1.इन्द्रो पत्नी स्व. अलसीसिंह
2.भीखसिंह पुत्र स्व. अलसीसिंह
3.नरपतसिंह पुत्र स्व.अलसीसिंह
4.चनणसिंह पुत्र स्व.अलसीसिंह
5.दुर्गसिंह पुत्र स्व. अलसीसिंह
1.भवरसिंह पुत्र स्व. मंगलसिंह
2.भैरूसिंह पुत्र स्व. मंगलसिंह
3.अरजनसिंह पुत्र मंगलसिंह
3 / 1अरविन्दसिंह पुत्र अरजनसिंह जाति राजपूत निवासी भादरीया तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर
3 / 2.कुन्ता पुत्र अरजनसिंह पत्नी गिरधरसिंह जाति राजपूत निवासी गिलाकोट वाया देचू जिला जोधपुर
3 / 3जितेन्द्रसिंह पुत्र अरजनसिंह
3 / 4प्रेमसिंह पुत्र अरजनसिंह
3 / 5महिपालसिंह पुत्र अरजनसिंह
3 / 6धनराजसिंह पुत्र अरजनसिंह
3 / 7अणछकंवर पत्नी अरजनसिंह
4.हलेरोदेवी पत्नी स्व. जगमालसिंह
5.कंवराजसिंह पुत्र स्व.जगमालसिंह
6.दिनेशसिंह पुत्र स्व. जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी भादरीया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
7.श्री शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा लाठी
8.श्री शाखा प्रबन्धक जैसलमेर प्रा. सहकारी भूमि विकास बैंक जैसलमेर
9.श्री तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 20 / 2018 बअनवान इन्द्रो वगै. बनाम भंवरसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.10. 2018 के विरूद्ध पेश हुई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपस्थिति

1. वकील श्री हेमेन्द्रसिंह भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री प्रेमाराम सोनी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 06.06.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता व उत्तरदातागण संख्या 01 से 05 व उत्तरदातागण संख्या 01 से 06 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 169, 170 रकबा क्रमशः 143.19 बीघा व 37.13 बीघा कुल रकबा 181.12 बीघा मौजा भादरीया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर में आये हुऐ है जिसमें उत्तरदातागण संख्या 01 से 05 का 1/3 हिस्सा, अपीलकर्ता व उत्तरदातागण संख्या 01 से 06 का 1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा स्वर्गीय शिवदानसिंह का था जो अपीलकर्ता द्वारा खरीद कर लिया इस 1/3 हिस्सा का खातेदार अपीलकर्ता है इस आराजी के पूर्व में तीनों थोक के आपसी सहमति में मौका पर बाहमी बंटवाडा किया हुआ है। इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। वाद के प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बाद इसके सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की गई और श्री तहसीलदार पोकरण को कमिश्नर नियुक्त किया तथा आदेश दिया गया कि सभी पक्षकारों को नोटिस देकर तारीख मुकर्रर कर उनकी माजूदगी में विभाजन धारा 18 से 20 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पालना में तैयार कर भेजे और विभाजन प्रस्ताव आने पर दिनांक 24.10.2018 को अंतिम डिक्री पारित कर दी जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उत्तरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्तव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट जानबूझकर मौके पर हाजिर नहीं रहे। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि की मंशा के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.09.2018 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि **तहसीलदार स्वयं** द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2018 बअनवान इन्द्रो वगै. बनाम भंवरसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.10.2018 को अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद का निर्णय अधिकतम तीन माह में पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.07.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रविष्टा मिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर